झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 2118/2021

जनक सिंह, उम्र लगभग 73 वर्ष, स्व. लखनदेव सिंह का पुत्र, गांव-रंगमाटी चंद्रपुरा, डाकघर- और थाना-चंद्रपुरा, जिला- बोकारो ...

याचिकाकर्ता

विरुद्ध

झारखंड राज्य ... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री रंधीर कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री वीरविजय प्रधान, अतिरिक्त लोक अभियोजक

<u>मौजूद</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा :- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह क्रिमिनल मिसीलेनियस पिटीशन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करते हुए दाखिल की गई है, जिसमें 07.08.2021 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो आपराधिक विविध संख्या 90/2021 के मामले में पारित किया गया था और जो आपराधिक अपील संख्या 19/2018 से संबंधित है, जिसे माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-॥, बोकारो द्वारा पारित किया गया था, जिसमें आपराधिक अपील संख्या 19/2018 की बहाली के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था; और आपराधिक अपील संख्या 19/2018 को इसकी मूल फाइल पर बहाल करने की प्रार्थना की गई है।

- 3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को ई.पी.एफ केस संख्या 34/1988 में 16.12.2017 को सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मिजिस्ट्रेट, बर्मी, टेनुगाट द्वारा पारित निर्णय में दोषी ठहराया गया था और उसे कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। याचिकाकर्ता ने बोकारों के सत्र न्यायाधीश की अदालत में आपराधिक अपील संख्या 19/2018 दायर की, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-॥।, बोकारों की अदालत में स्थानांतरित कर दी गई थी और 18.12.2019 को अनुपस्थित के कारण खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने आपराधिक विविध संख्या 90/2021 दायर की, जिसमें यह तर्क किया गया कि आपराधिक अपील को विशेषता के बिना खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-॥।, बोकारों ने आपराधिक विविध पिटीशन को धारा 362 के तहत अदालत के पास अधिकार न होने के आधार पर खारिज कर दिया।
- 4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मदन लाल कपूर बनाम राजीव ठपर एवं अन्य मामले में (आपराधिक अपील संख्या 1150/2007) निर्णय पर भरोसा किया, जिसे 31.08.2007 को पारित किया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बनी सिंह और अन्य बनाम राज्य उत्तर प्रदेश के मामले में (1996) 4 SCC 720 पर भी भरोसा किया, जिसमें तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि आपराधिक अपील को डिफ़ॉल्ट पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए बिल्क विशेषता पर तय किया जाना चाहिए और इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को वापस उच्च न्यायालय को भेज दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता को उक्त आदेश से अत्यधिक नुकसान हुआ है, इसलिए Cr. Appeal संख्या 19/2018 को इसकी मूल फाइल पर बहाल किया जाए और 07.08.2021 को पारित आदेश को रद्द किया जाए।
- 5. राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक को कोई गंभीर आपित नहीं है।
- 6. बार में प्रस्तुत प्रतिकूल प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री की सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि बनी सिंह और अन्य बनाम राज्य उत्तर प्रदेश (उपर्युक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानूनी सिद्धांत के अनुसार, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-॥, बोकारो ने आपराधिक

अपील संख्या 19/2018 को अनुपस्थित के कारण खारिज कर गलत तरीके से कानून का उल्लंघन किया है और यह कानूनी रूप से अनुमित नहीं है। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-॥, बोकारो ने अपने स्वयं के मामले के रिकॉर्ड में की गई गलितयों के संबंध में अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए गलती को सुधारना चाहिए था लेकिन ऐसा न करने के कारण उसने 07.08.2021 को आदेश पारित कर एक गलती की, जिसके तहत आपराधिक अपील संख्या 19/2018 को इसकी मूल फाइल पर बहाल नहीं किया, जबिक यह स्पष्ट था कि यह निर्णय गुण पर नहीं बिल्क अनुपस्थित के कारण खारिज किया गया था, जो कानून के तहत अनुमित नहीं है।

- 7. अतः, 07.08.2021 को पारित आदेश को रद्द और अमान्य किया जाता है और आपराधिक अपील संख्या 19/2018 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-॥।, बोकारो या इसके उत्तराधिकारी न्यायालय की मूल फाइल पर बहाल किया जाता है ताकि इसे कानून के अनुसार निपटाया जा सके।
- 8. परिणामस्वरूप, यह क्रिमिनल मिसीलेनियस पिटीशन स्वीकार की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, जज)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची दिनांक 28 फरवरी 2024 एएफआर/ अनिमेष

*यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।